राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 07 / 2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधि. 1956

उनवान

सरकार जरिये प0ह0पनेर बनाम सोहन पुत्र सूरजकरण जाति बावरी निवासी पनेर

निर्णय दिनांकः– 03.03.2022

पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर मौखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा हटा लेने हेतु निवेदन किया। अतः मामला निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने ग्राम पनेर के आराजी खसरा नंबर 780 / 368 किस्म बंजर 2 रकबा 0.1780 हैक्टयर भूमि पर पक्का मकान तथा बाड़ लगाकर कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा हटा लेने हेतु निवेदन किया। अतः मामला निर्णित किया जाता है

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम पनेर के आराजी खसरा नंबर 780 / 368 किस्म बंजर 2 रकबा 0.1780 हैक्टयर से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.26 का 50 गुणा 13 / –रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी / टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

तहसीलदार
रुपनगढ (अजमेर)

वर्ष 2021-22 रा.ले.सं.1 के पृष्ठ संख्या 88 पर सं. 13 पर मांग कायमी की गई। 9/3/22
तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner